राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1853/2010/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वार्ड–III, वृत–III
जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स बसैया स्टील कॉरपोरेशन,
मल्होत्रा नगर, रोड नं.–1, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित :
श्री एन के बैद
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से
अनुपस्थित .....प्रत्यर्थी व्यवसायी की ओर से

निर्णय

निर्णय दिनांक : 06/03/2017

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 88/अपील्स–IV/2008–09/ई में पारित आदेश दिनांक 16.06.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता षष्टम, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.05.2008 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनयम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6), (12), (13) के तहत कायम शास्ति रुपये 99885/– एवं वैट रुपये 13318/– कुल मांग राशि रुपये 113203/– को इस अपील में विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 13.05.2008 को वाहन संख्या जे.के–02–4268 को जम्मू से माल परिवहनित करते हुए जयपुर में चैक किया गया। वाहन चालक द्वारा वाहन में परिवहनित माल के समर्थन में जे के गोल्डन गुडस कैरियर्स की बिल्टी संख्या 3594 व मैसर्स चौहान ट्रेडर्स, बाडी ब्राहम्णा जम्मू का बिल क्रमांक 02 प्रस्तुत किये। दस्तावेज के साथ फार्म वैट–47 नहीं पाया गया। बिल व बिल्टी में भी वैट 47 का उल्लेख नहीं पाया गया। बिल का क्रमांक भी प्रिन्टेड नहीं होकर स्याही से अंकित किया पाया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रथमदृष्टया मिथ्या प्रतीत होने के कारण वाहन का निरुद्ध किया गया। सशक्त अधिकारी ने वाहन चालक एवं माल प्रभारी को वाहन में परिवहनित माल का भौतिक सत्यापन करवाने, माल के क्रेता– विक्रेता को प्रस्तुत करने एवं दस्तावेजों की जांच हेतु प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम की धारा 76(5)(क) के अन्तर्गत दिनांक 19.05.2008 की उपस्थिति के लिए नोटिस जारी किया गया। जिसकी पालना में मैसर्स बसैया स्टील कॉरपोरेशन, मल्होत्रा नगर जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर धारा 76(7) के अन्तर्गत पक्षकार बनने के लिए प्रस्तुत कियागया आवेदन स्वीकार किया। माल का भौतिक सत्यापन करने पर माल परिवहन में अधिनियम की धारा 76(2)(बी) एवं राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम 2006 के नियम 53 का उल्लंघन पाये जाने के फलस्वरुप सशक्त अधिकारी ने फर्म को

लगातार.....2

अधिनियम की धारा 76(6), (12) व (13) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जवाब में अधिकृत प्रतिनिधि ने आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए फार्म वैट 47 क्रमांक 2274348 पेश किया एवं फार्म वाहन केबिन में होना बताया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन मानते हुए माल कीमतन रुपये 3,32,950/– पर 4 प्रतिशत की दर से वैट रुपये 13,318/– एवं शास्ति रुपये 99,885/– आरोपित करते हुए कुल मांग रुपये 1,13,203/– कायम की जिसे अपील में विवादित किया गया है।

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी बावजूद सूचना के अनुपथित रहा है।

6. विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी ने व्यवहारी पर शास्ति व वैट आरोपित करने से पूर्व प्रस्तुत जवाब/दस्तावेज/शपथ पत्र का अवलोकन विवेक से नहीं किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का माल दिनांक 13.05.2008 को चैक किया गया तथा व्यवहारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया। इसके जवाब में दिनांक 13.05.2008 को ही प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से वैट 47 क्रमांक 2274348 (पूर्णतः भरा हुआ) सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। रेकार्ड पत्रावली से स्पष्ट है कि दिनांक 13.05.2008 को ही जवाब के साथ परिवहनित माल कीमतन रुपये 3,32,950/– से संबंधित भरा हुआ घोषणा प्रपत्र वैट 47 क्रमांक 2274348 प्रस्तुत कर दिया गया था। जो कर निर्धारण पत्रावली की पृष्ठ संख्या 11 व शपथ पत्र पृष्ठ संख्या 12 पर संलग्न है। ऐसी स्थिति में व्यवहारी के परिवहनित माल के संबंध में धारा 76(2) का उल्लंघन करना प्रमाणित नहीं होता है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा धारा 76(6) के तहत शास्ति एवं धारा 76(12) के तहत वैट का अधिरोपण विधिसम्मत नहीं है। सशक्त अधिकारी द्वारा व्यवहारी के दस्तावेजों को भी मिथ्या प्रमाणित नहीं किया गया है और केवल संदेह के आधार पर कर व शास्ति का आरोपण किया गया है।

7. फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया

(खेमराज)
अध्यक्ष